

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 162/2017

बनाम  
हीराजी माताजी हजालदेह  
इजारी उकेरवाप 50 2289  
श्री 110 काधोला

(1) उडा 50 किशन बलरि 110 काधोला  
(2) हासमडीन 50 जमालुडीन कुतिलगन  
(3) लोडु 50 वरदा कावड  
(4) किशन गोपाल 50 गैरु लाल मणी  
काधोला

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री- ~~रुकारनाम~~ ने जरिये अभिभाषक  
श्री- ~~दिनेश हजाल~~ ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक्त  
खाते की भूमि ग्राम काधोला प0ह0 काधोला तह0 माण्डलगढ मे आराजीन0

~~1244, 1258, 1259, 2287, 2288, 2289~~

किता 6 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा  
विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे  
साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी  
की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्बत् 2071 (2014) के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त  
आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत  
शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता  
है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाकर  
ग्राम काधोला की आराजी न0 ~~1244, 1258, 1259, 2287, 2288, 2289~~

रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने  
के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है।  
कमीशनर फीस 500 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं  
पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार,  
माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी